बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), 2005 से संबंधित प्रश्नोत्तर

प्रश्नः–1 अनुशासनिक प्राधिकार' की क्या परिभाषा है? कौन–कौन प्राधिकार अनुशासनिक प्राधिकार होते हैं? इस संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियावली, 2005 के किन–किन नियमों में उल्लेख है?

उत्तरः– किसी सरकारी सेवक का अनुशासनिक प्राधिकार वह प्राधिकार है जो उसके अनुशासन/कदाचार से संबंधित मामलों में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय लेने में सक्षम हो।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 2(झ) के अनुसार 'अनुशासनिक प्राधिकार' से अभिप्रेत है 'नियुक्ति प्राधिकार' अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार। उक्त नियम के अतिरिक्त नियम 9 एवं 15 में भी अनुशासनिक प्राधिकार का उल्लेख है। उक्त सभी नियमों के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित प्राधिकार अनुशासनिक प्राधिकार होते हैं–

(क) नियुक्ति प्राधिकार,
(ख) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार,
(ग) ऐसा कोई भी प्राधिकार जिसका नियुक्ति प्राधिकार अधीनस्थ हो,
(घ) सरकार, तथा
(ड़) सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त शक्ति प्रदत्त या इस हेतु प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार।

प्रश्नः–2 प्रपत्र 'क' का स्वरूप अंकित करें।

उत्तरः– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–31 में निहित विनियम बनाने के प्रावधान का उपयोग कर आरोपी सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोप पत्र के गठन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–322 दिनांक–31.01.2011 द्वारा "बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2011" अधिसूचित की गयी थी। इस विनियमावली में निर्धारित प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र के गठन का प्रावधान किया गया था।

परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–15983 दिनांक–14.12.2017 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र बनाने से संबंधित वर्ष 2011 के उक्त वर्णित विनियमावली को निरसित करते हुए प्रपत्र 'क' के स्थान पर विहित प्रपत्र में **आरोप पत्र** के गठन हेतु **"बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2017"** अधिसूचित की गयी है।

वर्तमान में प्रवृत्त नये प्रावधान के आलोक में आरोप पत्र चार भाग में होगा। प्रथम भाग में संबंधित सरकारी सेवक की व्यक्तिगत सूचनाएँ अभिलिखित की जायेगी। द्वितीय भाग में अवचार या कदाचार के लांछनों का सार, एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप के रूप में अन्तर्विष्ट होगा। तृतीय भाग में आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन अन्तर्विष्ट होगा, जिसमें सरकारी सेवक द्वारा की गयी कोई स्वीकृति या संस्वीकृति सहित, सुसंगत तथ्यों का एक अभिकथन अन्तर्विष्ट रहेगा। चतुर्थ भाग में उन दस्तावेजों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो, अन्तर्विष्ट रहेगा।

प्रश्नः–3 किसी सरकारी सेवक को किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियावली, 2005 के किस नियम के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधान है?

उत्तरः– किसी अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किसी सरकारी सेवक को निलंबित किया जा सकता है जब–

(क) सरकारी सेवक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चलायी जानी हो या लंबित हो, अथवा

(ख) अनुशासनिक प्राधिकार की राय में सरकारी सेवक राज्य की सुरक्षा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले क्रियाकलाप में संलिप्त हो, अथवा

(ग) सरकारी सेवक के विस्द्ध कोई आपराधिक मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन हो और सक्षम प्राधिकार को यह समाधान हो जाय कि लोकहित में उसे निलंबित करना समीचीन है।

प्रश्नः–4 किसी सरकारी सेवक के कारा–निस्द्ध हो जाने पर उसे निलंबित किया जा सकता है या नहीं? यदि हाँ तो किस तिथि से? इस संबंध में प्रावधान स्पष्ट करें।

उत्तरः– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 के उपनियम (2) के अनुसार किसी सरकारी सेवक के कारा–निरूद्ध हो जाने पर उसे निम्नलिखित तिथि के प्रभाव से निलंबित समझा जाना है–

(क) कारा–निरोध की तिथि से, यदि वह या तो आपराधिक आरोप पर या अन्यथा, अड़तालिस घंटों से अधिक अवधि के लिए, अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया हो,

(ख) दोषसिद्धि की तिथि से, यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में उसे अड़तालिस घंटो से अधिक की कारावास की अवधि से दंडाविष्ट किया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप उसे तत्काल सेवाच्युत या बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत नहीं किया गया हो।

अड़तालीस घंटो की अवधि की संगणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास प्रारम्भ होने की तिथि से की जायेगी, और इस प्रयोजनार्थ कारावास की अन्तर्विरामी कालावधियॉ यदि कोई हो, परिगणित की जायेंगी।,

प्रश्नः–5 बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(3) की व्याख्या करें।

उत्तरः– नियम– 9 के उपनियम (3) में प्रावधान है कि कारावास से बाहर आने पर सरकारी सेवक द्वारा योगदान किये जाने पर नियम–9(2) के तहत निलंबित समझे जाने की अवधि समाप्त समझी जायेगी और योगदान स्वीकार किया जायेगा। तत्पश्चात आवश्यकतानुसार उपनियम (1) के खंड (क) (ख) एवं (ग) के अंतर्गत पुनः निलंबित करने का प्रावधान है। कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग के पत्रांक 773 दिनांक 27.03.06 में यह अनुदेश निर्गत है कि यदि कोई सरकारी सेवक पूर्व से निलंबित नहीं हो और आकस्मिक किसी कार्रवाई के कारण हिरासत में जाता है अथवा हिरासत में जाने की सूचना बाद में प्राप्त होती है तो ऐसे मामलों में नियम–9 के उपनियम (2) के तहत निलंबित समझे जाने का आदेश निर्गत किया जा सकता है। परन्तु, जहाँ नियम 9(1) के तहत निलंबन का औचित्य हो वैसे मामलों में हिरासत में जाने की स्थिति में भी नियम–9(1) के तहत कार्रवाई करना उचित होगा जिससे हिरासत से मुक्त होने के पश्चात पुनः नियम 9(1) के तहत निलंबित करने की कार्रवाई की आवश्यकता न हो। यह भी अनुदेश है कि उपनियम (3) की कार्रवाई उपनियम (2) के अंतर्गत के मामलों में ही की जा सकती है, उपनियम (1) के अंतर्गत के मामलों में नहीं।

प्रश्नः–6 यदि निलंबनाधीन कोई सरकारी सेवक सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड से दंडित हो जाता है और ऐसा दंडादेश अपील या पुनरीक्षण में निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसे सरकारी सेवक की प्रास्थिति (status) क्या होगी?

उत्तर :– उक्त नियमावली के नियम–9 के उपनियम(4) के अनुसार निलंबनाधीन सरकारी सेवक पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का अधिरोपित दंड यदि अपील या पुनरीक्षण में निरस्त कर दिया जाता है और मामले को अगली जाँच या कार्रवाई या कोई अन्य निदेश के साथ विप्रेषित कर दिया जाता है, तो उसके निलंबन का आदेश सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तिथि से लगातार लागू समझा जायेगा तथा अगले आदेश तक लागू रहेगा। अर्थात, उसकी प्रास्थिति निलंबित के रूप में रहेगी। न्यायिक आदेश द्वारा ऐसा दंडादेश निरस्त होने पर भी नियम 9(5) के अनुसार निलंबित के रूप में ही उसकी प्रास्थिति अगले आदेश तक बनी रहेगी।,

प्रश्नः–7 निलंबनादेश निर्गत होने और आरोप–पत्र गठित नहीं होने के मामलों के संबंध में क्या प्रावधान है?

उत्तरः– नियम–9 के उपनियम (7) के अनुसार, निलंबनादेश निर्गत होने की तिथि से तीन माह के भीतर आरोप–पत्र गठित कर दिया जाना है, यदि ऐसा आरोप –पत्र गठित नहीं हो। ऐसा नहीं करने पर तीन माह की समाप्ति पर निलंबनादेश वापस लिया जायेगा। हालाँकि निलंबनादेश निर्गत करनेवाला प्राधिकार, आरोप–पत्र गठित किये जाने में विलम्ब के कारणों को अभिलेखित करते हुए अगले चार माह तक के लिए निलंबन को नवीकृत करने संबंधी आदेश पारित कर सकता है। परन्तु विस्तारित चार माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यदि आरोप–पत्र गठित नहीं किया जाता है तो निलंबनादेश स्वतः वापस ले लिया गया समझा जायेगा।

प्रश्नः–8 निलंबन के दौरान जीवन–निर्वाह भत्ता के संबंध में क्या प्रावधान है?

उत्तरः– नियम–10 के उपनियम (1) के अनुसार निलंबानाधीन या निलंबनाधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक अर्द्ध औसत वेतन के बराबर जीवन–निर्वाह भत्ता और ऐसे अर्द्ध औसत वेतन पर अनुमान्य महँगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा। जहाँ निलंबन की अवधि बारह माह से अधिक हो गयी हो वहाँ जीवन–निर्वाह भत्ता की रकम में निम्नलिखित रूप में परिवर्तन किया जा सकता है:–

(1) यदि निलंबन की ऐसी लम्बी अवधि के लिए सरकारी सेवक उत्तरदायी नहीं हो तो जीवन–निर्वाह भत्ता की रकम में 50% तक वृद्धि की जा सकती है।

(2) यदि निलंबन की ऐसी लम्बी अवधि के लिए सरकारी सेवक उत्तरदायी हो तो जीवन–निर्वाह भत्ता की रकम में 50% तक कमी की जा सकती है।

महँगाई भत्ता की दर उक्त बढ़ी हुई या घटी हुई अनुमान्य जीवन–निर्वाह भत्ता की दरों पर आधारित होगी। परन्तु, जीवन–निर्वाह भत्ता उसी अवधि के लिए अनुमान्य होगा जब निलंबन के दौरान वह मुख्यालय में वास्तव में उपस्थित रहा हो। एतदर्थ उनसे उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज करने की अपेक्षा की जायेगी। परन्तु, कारावास अवधि के लिए मुख्यालय का निर्धारण नहीं हो सकता है, अतः कारावास–अवधि के लिए ऐसी उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। नियम–10(3) के अनुसार, कारावास में रहने के कारण निलंबित समझे जाने के फलस्वरूप जीवन–निर्वाह भत्ता का भुगतान उसके प्राधिकार पत्र के आधार पर उसके नामांकित आश्रित को किया जा सकेगा और भुगतान उसी स्थापना द्वारा किया जायेगा जहाँ ऐसा सरकारी सेवक कारावास में जाते समय पदस्थापित रहा हो।

प्रश्नः–9 निलंबित सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने पर क्या कार्रवाई अपेक्षित होती है?

उत्तरः– जहाँ किसी निलंबित सरकारी सेवक के विरूद्ध शुरू की गयी अनुशासनिक या आपराधिक कार्यवाही पूरी होने के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गयी हो वहाँ, नियम 11(2) के अनुसार, निलंबन की तिथि तथा मृत्यु की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर मानी जायेगी और उसके परिवार को उस अवधि के लिए पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान किया जायेगा जिसके लिए वह निलंबित नहीं होने पर हकदार होता। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन–निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया या ऋणों का समायोजन कर लिया जायेगा।

प्रश्नः–10 जहाँ निलंबन पूर्णरूपेण अनुचित पाया जाय वहाँ क्या कार्रवाई अपेक्षित होगी?

उत्तरः– जहाँ अनुशासनिक प्राधिकार की राय हो कि निलंबन पूर्णरूपेण अनुचित था तो, नियम–11 (3) के अनुसार, सरकारी सेवक को, वैसे पूरे वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया जायेगा जिसके लिए वह निलंबित नहीं किये जाने पर हकदार होता। नियम 11(8) के अनुसार भत्तों का भुगतान उन अन्य सभी शर्तों के अधीन होगा जिनके अधीन ऐसे भत्ते अनुमान्य हों। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन–निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जायेगा। निलंबन की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

प्रश्नः–11 जहाँ संस्थित कार्यवाही के समापन में विलम्ब के कारणों के लिए ऐसा सरकारी सेवक उत्तरदायी हो वहाँ निलम्बन वापस लेने के बाद वेतन–भत्ते के भुगतान का क्या प्रावधान है?

उत्तरः– नियम 11 (3) के परन्तुक के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकार की राय हो कि सरकारी सेवक के विरूद्ध संस्थित कार्यवाही के समापन में उन कारणों के चलते विलम्ब हुआ है जिसके लिए सरकारी सेवक सीधे उत्तरदायी है तो वह उसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने एवं उस पर विचार करने के पश्चात् लिखित रूप में अभिलिखित किये जानेवाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे विलम्ब की अवधि के लिए ऐसे वेतन तथा भत्ते की मात्र उतनी राशि का भुगतान सरकारी सेवक को किया जायेगा जितनी उसके द्वारा निश्चित की जाय। इस स्थिति में विनिश्चित किये गए वेतन एवं भत्ते का अनुपात न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न ही जीवन निर्वाह भत्ता से कम। साथ ही निलंबन की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

प्रश्नः–12 जहाँ निलंबन अवधि का पूरा वेतन–भत्ता नहीं देकर उसके किसी अनुपात के भुगतान का निर्णय लिया जाय या यह निर्णय लिया जाय कि जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी ऐसी अवधि के लिए देय नहीं होगा, वहाँ ऐसा विनिश्चय करने के पूर्व क्या कार्रवाई अपेक्षित होती है?

उत्तरः– नियम–11 के उपनियम (5) के अनुसार अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ऐसा विनिश्चय सरकारी सेवक को प्रस्तावित राशि की नोटिस देने के पश्चात और सरकारी सेवक द्वारा, उक्त नोटिस के तामिल होने की तिथि से साठ दिनों के अन्दर, उसके संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद दिया जायेगा। इस स्थिति में विनिश्चित किये गए वेतन एवं भत्ते का अनुपात न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न ही जीवन निर्वाह भत्ता से कम।

प्रश्नः–13 निलंबन के पश्चात् पुनर्स्थापित किये जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन–भत्ता की अनुमान्यता का प्रावधान किस नियम में है?

उत्तरः– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11 में है।

प्रश्नः–14 सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपील के परिणामस्वरूप पुनर्स्थापन पर सेवा का निरूपण तथा वेतन–भत्ता की अनुमान्यता का प्रावधान किस नियम में है?

उत्तरः– उक्त नियमावली के नियम–12 में।

प्रश्नः–15 सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये जाने पर पुनर्स्थापन, सेवा का निरूपण तथा वेतन–भत्ता की अनुमान्यता का प्रावधान किस नियम में है?

उत्तरः– नियम–13 में।

प्रश्नः–16 लघु दंड की श्रेणी में कौन–कौन दंड रखे गये हैं?

उत्तरः– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 में लघु एवं वृहत दंडों का उपबंध किया गया है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 द्वारा मूल नियमावली के नियम 14 को प्रतिस्थापित (substitute) किया गया है। संशोधन के उपरान्त लघु दंड निम्न हैं–

(i) निन्दन,

(ii) प्रोन्नति की रोक,

(iii) लापरवाही या आदेशोल्लंघन के कारण सरकार को पहुँचायी गयी किसी वित्तीय हानि की उसकी वेतन से पूरी या आंशिक वसूली,

(iv) तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन के निम्नतर प्रक्रम पर अवनति,

(v) असंचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धि की रोक।

प्रश्नः–17 लघु दंड अधिरोपित करने हेतु क्या प्रक्रिया है?

उत्तरः– लघु दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया नियम–19 में दी हुई है। तद्नुसार निम्नांकित कार्रवाइयों के बाद ही कोई लघु दंड दिया जा सकता है–

(क) कदाचार अथवा अवचार का लांछन और कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव की सरकारी सेवक को लिखित जानकारी, उसे अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, जैसा वह प्रस्ताव के विरूद्ध करना चाहे।

(ख) यदि अनुशासनिक प्राधिकार की राय में ऐसी जाँच आवश्यक हो तो नियम–17 के उपनियम (3) से (23) तक में विहित रीति से जाँच।

(ग) सरकारी सेवक द्वारा उपर्युक्त (क) के अधीन की गयी जाँच, यदि कोई हो, पर विचार।

(घ) प्रत्येक अवचार या कदाचार पर निष्कर्ष का अभिलेख।

ऐसे मामलों में कार्यवाही के अभिलेख में निम्नांकित शामिल रहते हैं–

(i) उसके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव की सरकारी सेवक को सूचना की प्रतिलिपि,

(ii) उसे उपलग्ध्य कराये गये अवचार या कदाचार के लांछन के अभिकथन की एक प्रतिलिपि,

(iii) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो तो,

(iv) जाँच के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य,

(v) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन के बारे में निष्कर्ष,

(vi) मामले पर, कारणों के साथ, आदेश।

प्रश्नः–18 'निन्दन' के कुप्रभाव को स्पष्ट करें।

उत्तरः– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 के स्पष्टीकरण (2) के खंड (i) में 'निन्दन' के कुप्रभाव को स्पष्ट किया गया है। तद्नुसार 'निन्दन' की प्रविष्टि आरोपों के वर्ष की चरित्रपुस्त में की जायेगी। जिस वर्ष के आरोपों के कारण निन्दन का दंड दिया जायेगा, उस निन्दन का संबंधित सरकारी सेवक की सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति के मामलों पर उस वर्ष के बाद से अगले तीन वर्षों तक कुप्रभाव पड़ेगा। जिस सरकारी सेवक को तीन 'निन्दन' का दंड मिल चुका हो उसे प्रोन्नति के योग्य तभी समझा जायेगा जब अन्तिम (तीसरे) निन्दन के कुप्रभाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उस सरकारी सेवक का अगले पाँच वर्षों में कम–से–कम तीन वर्षों का कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और उसे अगले 5 वर्षों की अवधि में कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो।

प्रश्नः–19 प्रोन्नति पर रोक का दंड देते समय अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश में क्या स्पष्ट करना आवश्यक है?

उत्तरः– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 के स्पष्टीकरण (2) के खंड (ii) के अनुसार प्रोन्नति पर रोक का दंड देते समय अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि यह सजा किसी अवधि विशेष तक प्रभावी रहेगी अथवा पूरे सेवाकाल के लिए।

प्रश्नः–20 "तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए, संचयी प्रभाव के बिना, कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति" का दंड कब से प्रभावी हो सकता है और दंड की अवधि की समाप्ति के बाद सरकारी सेवक को कौन–सा प्रक्रम अनुमान्य होगा?

उत्तरः– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 के स्पष्टीकरण (2) के खंड (iii) के अनुसार इस दंड का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा। इस दंड प्रक्रम का आशय वेतनमान के प्रक्रम से है। चूँकि इसका प्रभाव असंचयात्मक है अतः इस दंड की अवधि के समाप्त होने पर प्रभावग्रस्त सभी प्रक्रमों का लाभ जोड़ते हुए अगला प्रक्रम अनुमान्य होगा।

प्रश्नः–21 असंचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धियों को रोकने के दंड के कुप्रभाव को स्पष्ट करें।

उत्तरः– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–14 के स्पष्टीकरण (2) के खंड (iv) के अनुसार इस दंड का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा, अर्थात आदेश निर्गत होने के बाद की वेतनवृद्धियाँ रोकी जायेंगी। आदेश में रोकी गयी वेतनवृद्धियों की संख्या का स्पष्ट अंकन आवश्यक होगा। दंडादेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से वेतनवृद्धि रूकी रहेगी। यदि किसी सरकारी सेवक की तीन वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है तो इसका अर्थ यह होगा कि दंडादेश संसूचित होने के बाद अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से प्रथम वेतनवृद्धि, दूसरी देय तिथि से दूसरी तथा तीसरी देय तिथि से तीसरी वेतनवृद्धि रूकी रहेगी। चौथी वेतनवृद्धि की तिथि से रूकी हुई तीनों वेतनवृद्धियों का प्रक्रम जोड़कर वेतनवृद्धि के साथ वेतन का भुगतान होगा, परन्तु रोकी गयी अवधि का आर्थिक लाभ अनुमान्य नहीं होगा। इस दंड के प्रभाव में रहने की अवधि में, अर्थात दंडादेश निर्गत होने की तिथि से जब तक वेतनवृद्धि रूकी रहेगी तब तक, किसी प्रकार की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। दंड की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही देय तिथि से प्रोन्नति पर विचार सम्भव हो सकेगा।

प्रश्नः–22 किसी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर वेतनवृद्धि रोक रखना क्या दंड है?

उत्तरः– नहीं।

प्रश्नः–23 किसी सरकारी सेवक की किसी सेवा, कोटि या पद (जिसके लिए वह अर्हक हो) के लिए उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति रोक देना या प्रोन्नति नहीं मिलना क्या दंड है?

उत्तरः– नहीं।

प्रश्नः–24 उच्चतर सेवा, कोटि या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत किसी सरकारी सेवक का, उसके आचरण से अनजुड़े किसी प्रशासनिक आधार पर निम्नतर सेवा, कोटि या पद पर प्रतिवर्तन क्या दंड है?

उत्तरः– नहीं।

प्रश्नः–25 परिवीक्षा पर किसी अन्य सेवा, कोटि या पद पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक का, उसकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि की समाप्ति या उसके दौरान उसकी स्थायी सेवा, कोटि या पद पर प्रतिवर्तन दंड की श्रेणी में आता है या नहीं?

उत्तरः– नहीं।

प्रश्नः–26 किसी सरकारी सेवक की सेवा का, जिसकी सेवाएँ किसी राज्य सरकार से या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी प्राधिकार से उधार ली गयी हो, उस राज्य सरकार या उस प्राधिकार में प्रतिस्थापन दंड की श्रेणी में आता है या नहीं?

उत्तरः– नहीं।

प्रश्नः–27 अधिवार्षिकी (super anuation) या सेवानिवृति (retirement) से संबंधित बिहार सेवा संहिता के नियम–74 के अनुसार किसी सरकारी सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति दंड है या नहीं?

उत्तरः– नहीं।

प्रश्नः–28 परिवीक्षा पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक को उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार सेवा समाप्ति दंड है या नहीं?

उत्तरः– नहीं।

प्रश्नः–29 करार के अधीन नियोजित किसी सरकारी सेवक की ऐसे करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार सेवा–समाप्ति दंड है या नहीं?

उत्तरः– नहीं।

प्रश्नः–30 अनुशासनिक कार्यवाही की प्रक्रिया के बारे में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के किस नियम में विस्तृत प्रावधान किया गया है?

उत्तरः– नियम–17 में।

प्रश्नः–31 जाँच प्रतिवेदन (संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन) के आधार पर कार्रवाई का प्रावधान उक्त नियमावली के किस नियम में है?

उत्तरः– नियम–18 में।

प्रश्नः–32 किन मामलों में दंडादेश निर्गत करने के पूर्व प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है?

उत्तरः– सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक–9794 दिनांक–22.07.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 (समय–समय पर यथासंशोधित) के विनियम–11 एवं 12 को प्रतिस्थापित किये जाने तथा परिपत्र संख्या–14123 दिनांक–16.10.2019 द्वारा निर्गत एतद्संबंधी स्पष्टीकरण में **राज्य सेवा संवर्ग के लेवेल–9 एवं इससे उच्चतर लेवेल के राजपत्रित कोटि के सरकारी सेवकों, जिनकी नियुक्ति/प्रोन्नति बिहार लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य आयोग की अनुशंसा/परामर्श से की जाती हो, उनके अनुशासन संबंधी मामलों में पेंशन से कटौती अथवा वृहद दंड का आदेश दिये जाने की स्थिति में सरकार के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक होने का प्रावधान किया गया है।**

प्रश्नः–33 प्रस्तावित दंडों के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किये जाने की प्रक्रिया किस परिपत्र के अंतर्गत निर्गत है? किस प्रकार के मामलों में आयोग से परामर्श करना आवश्यक है और किस प्रकार के मामलों में आवश्यक नहीं है?

उत्तरः– अनुशासनिक मामलों में प्रस्तावित दंडों के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श करने संबंधी प्रक्रियागत मागर्दशन एवं चेकस्लिप पत्रांक–2609 दिनांक– 13.09.2006 के तहत निर्गत है।

लघु दंड के किसी भी मामले में आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। वृहत दंड के संदर्भ में प्रश्न संख्या–32 मे वस्तुस्थिति स्पष्ट की गयी है।

प्रश्नः–34 अनुशासनिक कार्यवाही सम्पन्न करने के लिए अधिकतम समय–सीमा क्या है?

उत्तरः– कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग के पत्रांक 2178 दिनांक 28.02.2007 के अनुसार विभागीय कार्यवाही सम्पन्न करने की अधिकतम समय–सीमा छः माह है तथा अनुशासनिक कार्रवाई पूर्ण करने की समय–सीमा 1(एक) वर्ष है। स्पष्टतः विभागीय कार्यवाही भी सम्पूर्ण अनुशासनिक कार्रवाई के बीच की एक प्रक्रिया है।

प्रश्नः–35 अपील के लिए क्या समय–सीमा है?

उत्तरः– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–25 के अनुसार अपील के लिए समय–सीमा, अपील में अंतर्ग्रस्त आदेश की प्रति अपीलार्थी को दे दिये जाने की तिथि से, 45(पैंतालिस) दिनों तक है।

प्रश्नः–36 पुनरीक्षण के लिए क्या समय–सीमा है?

उत्तरः– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–28 के अनुसार प्रश्नाधीन आदेश के निर्गत की तिथि से छह माह पुनरीक्षण के लिए समय–सीमा है।

प्रश्नः–37 समय–सीमा को शिथिल करने तथा विलम्ब को माफ करने की शक्ति किस नियम में प्रावधानित है?

उत्तरः– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–29 में।

प्रश्नः–38 क्या संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर आगे और जाँच कराना सम्भव है?

उत्तरः– हाँ। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 के उपनियम (1) के अनुसार, यदि जाँच प्राधिकार अनुशासनिक प्राधिकार से भिन्न हो, तो अनुशासनिक प्राधिकार, लिखित रूप में अभिलिखित किये जानेवाले कारणों से, आगे और जाँच करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए मामलों को जाँच प्राधिकार के पास वापस प्रेषित कर सकता है। ऐसे मामलों में 'पुनः जाँच' अथवा 'पुर्नजाँच' (Re-enquiry) शब्द का प्रयोग किया जाना उपयुक्त नहीं है। इसके स्थान पर 'आगे और जाँच' (further enquiry) शब्द का प्रयोग किया जाना उपयुक्त होता है।

आगे और जाँच का निर्णय तभी लिया जाता है जब किसी आरोप अथवा आरोप के किसी अंश के लिए जाँच प्रतिवेदन में निष्कर्ष अंकित नहीं किया गया हो अथवा निष्कर्ष पर पहुँचने के क्रम में किसी महत्वपूर्ण तथ्य की उपेक्षा की गयी हो। आगे और जाँच का निर्णय ऐसी परिस्थिति में नहीं लिया जायेगा जब सभी आरोपों के संदर्भ में जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट निष्कर्ष अंकित हो अर्थात् मनमाफिक जाँच प्रतिवेदन का निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु आगे और जाँच के प्रावधान का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

प्रश्नः–39 बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के प्रावधानों को स्पष्ट करें।

उत्तरः– (i) अनुशासनिक कार्रवाई के चलते रहने के दरम्यान आरोपित सरकारी सेवक के सेवानिवृत हो जाने पर अनुशासनिक कार्यवाही चलती रहेगी। ऐसे मामलों में नियम 43 (बी) के तहत कोई नया आदेश निर्गत करने अथवा कार्यवाही के नियम–43 (बी) के तहत स्वतः परिवर्तन संबंधी आदेश निर्गत

करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही का ताजा आदेश कदापि निर्गत नहीं किया जाय। नियम 43 (बी) के तहत कोई नया (ताजा) आदेश वैसे ही मामलों में निर्गत हो सकता है जहाँ सेवानिवृत्ति के बाद आरोप–पत्र निर्गत किया गया हो।

(ii) नियम–43(बी) के तहत कार्रवाई उन्हीं मामलों में की जा सकती है जिनमें आरोप गंभीर कदाचार अथवा गंभीर वित्तीय अनियमितता से संबंधित हो तथा आरोप की वास्तविक घटना चार वर्षों से ज्यादा पुरानी नहीं हो। माननीय पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–12943/09 (उर्मिला शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक–10.05.2010 को पारित आदेश के तहत स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी गयी है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अंतर्गत चार वर्षों की गणना घटना की तिथि से होगी, न कि घटना की जानकारी की तिथि से। अतः कदाचार का आरोप जिस घटना से संबंधित है वह अगर कार्यवाही संस्थित करने की तिथि से चार वर्ष से पहले का है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चल सकती है, क्योंकि ऐसा आरोप कालबाधित की श्रेणी में आयेगा। इस संबंध में पूर्व में पत्रांक–3448 दिनांक–02.12.2006 (2010 का कम्पेडियम (प्रथम खंड) पृष्ठ 356–358 द्रष्टव्य) की कंडिका–3(vi) मे दिया गया अनुदेश अवक्रमित कर दिया गया है।

परन्तु ऐसे मामलों में यदि आरोपी को उसके सेवाकाल में ही निलंबित किया गया हो अथवा सेवाकाल में ही आरोप–पत्र निर्गत हो, तब वह मामला कालबाधित नहीं होगा।

(iii) बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के तहत सीधे कार्रवाई कदाचार के आरोपों के संदर्भ में नहीं की जा सकती है। नियम 43 (बी) में संचालित अनुशासनिक कार्यवाही के फलाफल के आधार पर ही कदाचार के मामले में नियम–139 के तहत पेंशन से कटौती संभव है।

परन्तु यदि सेवा अभिलेखों के आधार पर सक्षम प्राधिकार को ये समाधान हो जाय कि पेंशनभोगी की सेवा उसके सेवाकाल में पूर्णतः संतोषजनक नहीं रही है तो ऐसी स्थिति में नियम 43(बी) के तहत विभागीय कार्यवाही चलाये बिना भी नियम–139 के तहत सीधे कार्रवाई हो सकती है।

(iv) परन्तु बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के तहत कार्रवाई प्रथम पेशन स्वीकृति के 03 वर्षों के अंदर ही की जा सकती है। प्रथम पेशन स्वीकृति के 03 वर्षों के उपरान्त बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत कार्रवाई कालबाधित है।

(v) पेंशन नियमावली के नियम 43 (क) के तहत सरकार को पूरा पेंशन या उसके किसी अंश को रोकने की शक्ति है।

परन्तु नियम–43(क) हमेशा सेवानिवृत्ति के बाद के आरोप में प्रभावी होगा, सेवाकाल के किसी आरोप के लिए नहीं। इसी प्रकार नियम–43(ख)

हमेशा सेवाकाल के आरोप के संदर्भ में प्रभावी होगा, सेवानिवृत्ति के बाद के किसी आरोप के लिए नहीं।

(vi) यदि सेवानिवृत्ति के बाद आरोप–पत्र गठित कर नियम–43 (बी) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित होती है तो उसके फलाफल के आधार पर पेंशन रोकी जा सकती है। परन्तु यदि सेवानिवृत्ति की तिथि तक या उसके तुरंत बाद आरोप–पत्र गठित नहीं है और अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो पायी है तो पेंशनादि की स्वीकृति पर विचार में विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

प्रश्नः–40 बिहार पेंशन नियमावली के नियम–(ग) एवं (घ) क्या है?

उत्तरः– बिहार पेंशन नियमावली के नियम–(ग) एवं (घ) का प्रावधान निम्नवत् है–

"**(ग)** जहाँ सरकारी सेवक की सेवा अवधि में प्रारम्भ की गई विभागीय कार्यवाही या ऐसी न्यायिक कार्यवाही, जिसमें उक्त सेवक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत हो, सेवानिवृत्ति तक अंतिम रूप से निष्पादित नहीं हुई हो, वहाँ औपबंधिक पेंशन की राशि नियमतः अनुमान्य पेंशन की अधिकतम राशि से कम होगी पर किसी स्थिति में 90 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(घ) यदि सेवानिवृत्ति की तिथि को सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही लम्बित हो, उपदान की पूर्ण राशि विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही के अन्तिम निष्कर्ष एवं तदनुसार आदेश निर्गत होने तक रोक रखी जा सकेगी;

परन्तु जहाँ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14(i), (ii) एवं (v) में वर्णित लघु दंड अधिरोपित करने हेतु नियम–19 के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी है, वहाँ सरकारी सेवक को उपदान का भुगतान किया जा सकेगा।"

प्रश्नः–41 द्वितीय कारण पृच्छा संबंधी प्रावधान नियमावली के किस नियम में है और क्या है?

उत्तरः– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में द्वितीय कारण पृच्छा करके कोई प्रावधान नहीं है बल्कि नियमावली के नियम–18 के उपनियम (3) में अभ्यावेदन अथवा निवेदन संबंधी प्रावधान है। प्रावधान यह है कि अनुशासनिक प्राधिकार जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि, जाँच प्रतिवेदन से असहमति का स्वयं का निष्कर्ष (यदि कोई हो) के साथ, सरकारी सेवक को भेजेगा, जो, यदि वह चाहे तो, अपना लिखित अभ्यावेदन या निवेदन अनुशासनिक प्राधिकार को पन्द्रह दिनों के अन्दर समर्पित करेगा।

प्रश्नः–42 सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने संबंधी प्रावधान किस नियमावली के किस नियम में है?

उत्तरः– बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) में।

प्रश्नः–43 अनुशासनिक कार्यवाही के चलते रहने के दरम्यान आरोपित सरकारी सेवा के सेवानिवृत्त हो जाने पर अनुशासनिक कार्यवाही चलती रहेगी या नही? इस संबंध में पत्रांक 1893 दिनांक 14.06.11 के अंतर्गत क्या अनुदेश दिया गया है?

उत्तरः– सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–1893 दिनांक 14.06.2011 की कंडिका–2(15) के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही के चलते रहने के दरम्यान आरोपित सरकारी सेवक के सेवानिवृत्त हो जाने पर अनुशासनिक कार्यवाही चलती रहेगी। ऐसे मामलों में नियम 43(बी) के तहत कोई नया आदेश निर्गत करने अथवा कार्यवाही के नियम 43(बी) के तहत स्वतः परिवर्तन संबंधी आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी। नियम 43(बी) के तहत कोई नया (ताजा) आदेश वैसे ही मामलों में निर्गत हो सकता है, जहाँ सेवानिवृत्ति के बाद आरोप–पत्र निर्गत किया गया हो।

प्रश्नः–44 किन परिस्थितियों में नियम 43(बी) के तहत कार्यवाही कालबाधित की श्रेणी में आ सकती है?

उत्तरः– माननीय पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–12943/2009 (उर्मिला शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक–10.05.2010 को पारित आदेश के तहत व्याख्या कर दी गयी है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अंतर्गत 4 वर्षों की गणना, घटना की तिथि से होगी, न कि घटना की जानकारी की तिथि से। अतः कदाचार का आरोप जिस घटना से संबंधित है, वह अगर कार्यवाही संस्थित करने की तिथि से चार वर्ष से पहले का है, तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चल सकती है, क्योंकि ऐसा आरोप कालबाधित की श्रेणी में आयेगा।

परन्तु ऐसे मामलों में यदि आरोपी को उसके सेवाकाल में ही निलंबित किया गया हो अथवा सेवाकाल में ही आरोप–पत्र निर्गत हो, तब वह मामला कालबाधित नहीं होगा।

प्रश्नः–45 बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के तहत पेंशन की कटौती की सीधी कार्रवाई की जा सकती है या नहीं?

उत्तरः– बिहार पेंशन नियमावली के नियम–139 के तहत सीधे कार्रवाई कदाचार के आरोपों के संदर्भ में नहीं की जा सकती है। नियम 43(बी) में विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के फलाफल के आधार पर ही नियम 139 के तहत पेंशन से कटौती संभव है। परन्तु, यदि सेवा अभिलेखों के आधार पर सक्षम प्राधिकार को यह समाधान हो जाय कि पेंशनभोगी की सेवा उसके सेवाकाल में पूर्णतः संतोषजनक नहीं रही है तो ऐसी स्थिति में नियम 43(बी) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही चलाये बिना भी नियम–139 के तहत सीधे कार्रवाई हो सकती है। (पत्रांक 1893 दिनांक 4.06.2011 की कंडिका–2(18) द्रष्टव्य)।

प्रश्नः–46 सरकार के आदेश के विरूद्ध अपील हो सकती है या नहीं?

उत्तरः– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24(2) के अनुसार सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी हालाँकि ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा सकेगी।

प्रश्नः–47 सरकारी सेवकों की मृत्यु के पश्चात् उनके विरूद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के संबंध में क्या प्रावधान है?

उत्तरः– सरकारी सेवकों की मृत्यु के पश्चात् उनके विरूद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–8811 दिनांक–18.07.2017 द्वारा दिशा निदेश निर्गत किया गया है। इस परिपत्र में विचाराधीन विषय के संदर्भ में स्पष्ट किया गया है कि **"विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में, विचारण के किसी भी चरण में, आरोपित सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी तथा मृत्यु की सूचना का उल्लेख करते हुए संबंधित आरोप प्रकरण को संचिकास्त कर दिया जायेगा।"**

प्रश्नः–48 किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही कब अन्तिम रूप से निष्पादित मानी जायेगी?

उत्तरः– विचाराधीन प्रश्न पर विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त परामर्श का अवतरण निम्नवत् है–

> " In view of the aforesaid, I am of the considered view that Rule-11(2) of the Bihar Government servant CCA Rules, 2005 is very clear and unambiguous on the point in issue. The departmental proceeding instituted against a Government servant, shall stand abated and terminated on the date of death of that employee if the proceedings has not been concluded. The conclusion of a departmental proceeding in my opinion would coincide with the last act required to be done in the departmental proceeding as envisaged u/s 18 of the Bihar Govt. Servant CCA Rules 2005. Mere submission of enquiry report holding delinquent guilty in a departmental proceeding cannot give an assumption that the departmental proceeding stands concluded."

उक्त परामर्श से स्पष्ट है कि किसी मामले में आरोप मुक्त करने अथवा दंडादेश अधिरोपित करने संबंधी अन्तिम आदेश निर्गत होने पर ही अनुशासनिक कार्रवाई पूर्ण मानी जायेगी।

प्रश्नः–49 कदाचार क्या है? क्या कदाचार को लघु एवं वृहद कदाचार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है?

उत्तरः– किसी सरकारी सेवक द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 अथवा सरकार के किसी अन्य संहिता, नियमावली, परिपत्र आदि में निहित किसी प्रावधान का उल्लंघन किया जाना कदाचार है।

कदाचार को लघु एवं वृहत् कदाचार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः कदाचार की प्रकृति एवं आवृति से कदाचार की गंभीरता का निर्धारण किया जा सकता है। अगर किसी सरकारी सेवक द्वारा कोई सामान्य कदाचार भी बार–बार किया जाय तो उसकी प्रकृति गंभीर हो जाती है।

प्रश्नः–50 किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध लघु दंड तथा वृहत् दंड अधिरोपित करने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तरः– अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित करने की निम्नांकित प्रक्रिया है–

(क) लघु शास्ति

(i) सरकारी सेवक को उसके विरूद्ध आरोपों की लिखित जानकारी देकर उसे अभ्यावेदन देने का मौका देने के बाद नियम–19 के तहत।

(ii) जहाँ आरोपों की जाँच आवश्यक हो वहाँ नियम– 17 के अंतर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चला कर।

(ख) वृहद् शास्ति

नियम– 17 के अंतर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही के पश्चात्।

प्रश्नः–51 अनुशासनिक कार्रवाई एवं अनुशासनिक कार्यवाही में अन्तर स्पष्ट करें।

उत्तरः– अनुशासनिक कार्रवाई के निम्नलिखित चरण हैं–

(i) आरोप–पत्र का गठन;

(ii) अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप–पत्र को अनुमोदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का निर्णय;

(iii) आरोप–पत्र के आधार पर बचाव के लिखित अभिकथन की मांग;

(iv) बचाव के लिखित अभिकथन की समीक्षा में आरोपमुक्त करने अथवा नियम–19 के तहत लघु दण्ड देने अथवा नियम–17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय;

(v) अनुशासनिक कार्यवाही का संचालन (नियम–17) तथा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करना;

(vi) जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा (नियम–18);

(vii) अभ्यावेदन अथवा निवेदन समर्पित करने का निदेश;

(viii) प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन पर विचारोपरान्त आरोपमुक्त करने अथवा प्रमाणित आरोप के लिए समुचित दण्ड निर्धारित करने का निर्णय;
(ix) आवश्यकतानुसार BPSC से परामर्श अथवा/तथा मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन;
(x) दण्ड का संसूचन।

स्पष्ट है कि अनुशासनिक कार्यवाही वस्तुतः अनुशासनिक कार्रवाई के विभिन्न चरणों में से बीच का एक चरण है।

——— X ———